

प्रशासन गांवो के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़शहर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवो के संग अभियान/ केम्प कोर्ट) कैम्प रियां

कमांक : राजस्व/प्र.गा.सं.अ./2021/ 120

दिनांक : 11.10.2021

मु.नं. 475/21 -:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रियां व मू.अ.नि.बुचकलां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 134 के अनुसरण में ग्राम रियां तहसील पीपाड़शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 86 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	रियां	86	1585	इलमुदीन पिता कमरुखां	इस्लामुदीन पिता कमरुदीन

(दू.हराम)

पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़शहर
दिनांक :- 11.10.2021

कमांक :- सम/2021/121 - 123

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हल्का पटवारी रियां को सूचनार्थ।
3. प्रार्थी इस्लामुदीन पिता कमरुदीन जाति कुरैशी निवासी रियां को सूचनार्थ।

(दू.हराम)

पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़शहर